राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3302/2025

लोकेश कुमार नोगिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2), विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक निदेशालय, शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. सयुंक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.07.2025
आदेश की दिनांक : 14.07.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी का चयन राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विधालय भर्ती 2018 के अन्तर्गत अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल–प्रथम के पद पर हुआ था एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चित्तोडगढ़ के आदेश दिनांक 25.7.2019 के क्रम में अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विधालय नली का खेड़ा, भेसोरगढ जिला चित्तोडगढ प्रदान किया गया जहां उसके द्वारा विधिवत रूप से कार्यग्रहण करने के पश्चात् निरन्तर लगन, मेहनत एवं निष्ठा से अपनी सेवायें देता चला आ रहा है। (अनुलग्नक–1) तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पदस्थापित स्थान राजकीय प्राथमिक विधालय नली का खेड़ा जिला चित्तोडगढ में अपनी सेवायें देता चला आ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा अंग्रजी माध्यम विधालयों में राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विधलयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्ते) नियम 2023 के तहत विभागीय कार्मिकों के चयन एवं पदस्थापन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें उत्तीर्ण अध्यापकों द्वारा विकल्प प्रेषित किये। इसी क्रम में अपीलार्थी द्वारा भी अपनी पारिवारिकि परिस्थिति को देखते हुये गृह जिल में अपने निज निवास के निकटतम विधालय में पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जिसमें स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल

केशवराय पाटन, बूंदी को द्वितीय विकल्प के रूप में चयनित किया गया। (अनुलग्नक–2) दिनांक 30.06.2025 को निदेशालय शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा चयन सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का चयन राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल केशवरायपाटन, बून्दी में किया गया। उक्त आदेश 30.06.2025 के अनुक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी बून्दी द्वारा भी पृथक आदेश दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया जिस सूची में प्रार्थी का स्थान क्रम संख्या–17 पर स्थित है। (अनुलग्नक–3) दिनांक 30.06.2025 के आदेश की पालना में दिनांक 01.07.2025 के ऑन लाईन आदेश द्वारा अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान विवेकानन्द मॉडल स्कूल केशवराय पाटन के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया एवं अपीलार्थी द्वारा नवीन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी द्वारा द्वितीय स्थान पर विकल्प के रूप में मॉडल स्कूल केशवरायपाटन का चयन किया गया क्योंकि केशवरायपाटन कोटा मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो शैक्षणिक एवं मेडिकल सुविधाओं के उद्देश्य से अपीलार्थी की पारिवारिक कारणों से उसका चयन किया गया जबकि कार्यग्रहण के समय अपीलार्थी को पता चला कि नवीन पदस्थापन विधालय कोटा से लगभग 80 किलोमीटर एवं केशवरायपाटन से लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर उप तहसील लाखेरी में स्थित है। विभाग द्वारा विकल्प पत्र में विवेकानन्द मॉडल स्कूल केशवरायपाटन का विकल्प करवा लिया गया जबकि संदर्भित दस्तावेजों पर राजकीय मॉडल स्कूल केशवरायपाटन ना होकर लाखेरी अंकित है एवं वास्तविक रूप में भी नवीन विधालय उप तहसील लाखेरी में स्थित है इसलिये भी अपीलार्थी को प्रदत्त विधालय पुनः नवीन रूप इच्छित स्थान पर दिया जाना न्यायसंगत है। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी का पदस्थापन पूर्व पदस्थापित विधालय राजकीय प्राथमिक स्कूल नली का खेडा, भैसोरगढ जिला चित्तोडगढ अथवा कोटा जिले से निकटतम उपलब्ध विधालय में कराया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष